[1.10.13 को अद्यतित]

सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल में आयुष की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहायता अनुदान की स्कीम

1. प्रस्तावना

शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7.20 लाख आयुष चिकित्साभ्यासी रहते हैं। स्वास्थ्य परिचर्या वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए उनके सामर्थ्य का अभी तक पूरी तरह उपयोग नहींकिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में आयुष की क्षमता के बारे में जागरुकता बढ़ने के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुष के लिए पोषण की कमियों, महामारियों और वेक्टर-जनित रोगों से लड़ने का रास्ता खोला है। इस स्कीम का उद्देश्य सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करना है ताकि आयुष उपचारों अर्थात औषधियों के वितरण,स्वास्थ्य जागरुकता शिविरों इत्यादि के आयोजन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए केवल प्रमाणित आयुष उपचारों का उपयोग किया जा सके।

2. स्कीम के उद्देश्य

केवल प्रमाणित आयुष उपचारों के माध्यमों से इस स्कीम को जिला/खंड/तहसील स्तर परएक इकाई के रूप में निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा रहा है:-

(i) सरकारी और निजी दोनों तरह के संगठनों के लिए अभिनव प्रस्तावों को समर्थन।

(ii) सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष माध्यमों को संवर्धित करना।

(iii) संस्थागत अर्हता प्राप्त आयुष चिकित्साभ्यासियों को प्रोत्साहन।

(iv) विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्साभ्यासियों की उपयोगिता को प्रोत्साहित करना।

3. पात्र संगठन

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य/आयुष निदेशालय।

(ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंध रखने वाले सरकारी संस्थान (कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि)

(iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों से कार्य कर रहे गैर-लाभकारी/स्वैच्छिक संगठन जिनके पास प्रमाणित खोज अभिलेख और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से युक्त एक सक्षम दल हो।

4. पात्रता

(i) आवेदनकर्ता संगठन के पास विश्वसनीय परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता और मुख्य कार्यदल होना चाहिए।

(ii) यदि आवेदक/संगठन एक गैर-लाभकारी/स्वैच्छिक संगठन है तो उनके पास सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्रमें कम से कम 05 वर्ष के अनुभव का रिकार्ड होना चाहिए। संगठन को पूर्व में इस तरह किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

(iii) यदि आवेदक/संगठन एक गैर-लाभकारी/स्वयंसेवी संगठन है, तो उन्हें पिछले 5 वर्षों में किसी राज्य/केंद्रीय एजेंसी से ली गई किसी प्रकार की सहायता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। कोई संस्थान जिसने पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से समान उद्देश्य के लिए वित्तपोषण प्राप्त किया है, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv) यदि आवेदक/संगठन एक गैर-लाभकारी/स्वैच्छिक संगठन है तो उनके प्रस्ताव की सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रके संबंधित अधिकारी द्वारा **संलग्नक-ग** में दिए गए प्रपत्र में अनुशंसा की जानी चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसंशाओं में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए:-

(क) इस प्रकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल परियोजना के क्रियान्वयन में संगठन की विश्वसनीयता और आवेदनकर्ता संगठन की क्षमता के बारे में,

(ख) पूर्वानुभव,

(ग) योजना की प्रासंगिकता और उपयोगिता।

(v) किसी भी संगठन को आयुष विभाग की विभिन्न स्कीमों से एक साथ अनुदान देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) आवेदक संगठन द्वारा राज्य को प्रस्ताव जमा करने के 60 दिनों के अंदर राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित करना है। यदि, राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार को आवेदक संगठन के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है और आयुष विभाग उस प्रस्ताव पर तद्नुसार विचार करेगा।

5. <u>वित्तपोषण पद्धति</u>

(i) तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 150 लाख रुपये की मंजूर किए जाएंगे।

(ii) मंजूर की गई कुल राशि के 40%, 40% और 20% के रूप में निधियां तीन किस्तों में जारी की जाएंगी। दूसरी और तीसरी किस्त को संतोषजनक उपलब्धि सह-निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त

करनेके बाद तथा जारी की गई राशि का कम से कम 75% के व्यय पर और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र को स्वीकार करने के बाद जारी किया जाएगा।

(iii) **वे क्रियाकलाप जिनके लिए योजना के तहत निधियां प्रदान की जा सकती है**

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य में सिद्ध आयुष उपचारों पर आयुष और एलोपैथिक चिकित्सकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए सामग्री (हैंडबुक, पर्चे, पत्रक) का विकास।

(ख) ग्रामीण, जनजातीय आबादी और शहरों में मलिन बस्तियों के लिए अधिमानत: दवाओं का वितरण और नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन।

(ग) आयुष उपचार के केवल स्वीकृत मिश्रणों (जैसे कि सिद्ध उपचार/थैरेपी/आयुष पद्धति की दवाओं के लिए) के प्रस्ताव होने चाहिए न कि किसी नए औषध परीक्षणों के लिए।

(iv) **अन्य शर्तें**

(क) **योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को इस प्रकार उपयोग में लाया जाना चाहिए:-**

(i) कुल अनुदान का 25% से अनधिक स्थापना/परियोजना प्रबंधन पर खर्च किया जाना चाहिए।

(ii) दवाओं पर कुल अनुदान का 50% से कम खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) **कुल अनुदान का शेष 25% हिस्सा आयुष सजकता और परियोजना के लिए छोटे उपकरणों आदि पर खर्च किया जाना चाहिए।**

(ख) परियोजना प्रस्ताव शीर्ष/संघटक-वार होने चाहिए और परियोजना के लागत विवरण वर्ष-वार होने चाहिए तथा अनुमोदित योजना लागत के अंतर्गत केवल 10% घट-बढ़ अनुमत्य होगा। स्वीकृत पत्र में संघटक-वार अनुमोदित परियोजना, वर्ष-वार सुपुर्दगी और अन्य परिभाषित शर्तें अनुदान जारी करने से पूर्व अलाभकारी/स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाले बंध पत्र में अनिवार्यत: शामिल की जानी चाहिए। बंध पत्र की वैधता तीन वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) उपयोगिता विवरणियां और प्रमाण पत्र तभी स्वीकार किए जाएंगे जब ये एक सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित और दिशा-निर्देशों के पैरा-6 में यथा वर्णित निगरानी समति की रिपोर्ट पर आधारित होगा।

(घ) यह विभाग योजना अवधि के लिए स्वीकृत अनुदान को छोड़कर संगठन द्वारा नियुक्त स्टाफ अथवा अन्य किसी दायित्व की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

(ङ) आयुष विभाग के पास निधियां जारी होने की तारीख से 12% ब्याज के साथ अनुदान की वूसली करने अथवा अनुमोदित परियोजना का शर्तों में किसी भी चूक या विचलन के लिए संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा।

6. <u>निगरानी तंत्र</u>

(i) परियोजना की कुल लागत के 2% तक को परियोजना की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ii) योजना के क्रियान्वयन वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को परियोजना की निगरानी में शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करनके एक समिति का गठन किया जाएगा।

(क) आयुष के साथ कार्य कर रहे राज्य निदेशालय/विभाग का एक प्रतिनिधि।

(ख) आयुष विभाग की संबंधित परिषदों/राष्ट्रीय संस्थानों के स्थानीय सीआरआई/आरआरआई इकाई का एक सदस्य।

(ग) आयुष विभाग का एक प्रतिनिधि।

(घ) परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्र का एक स्थानीय प्रतिनिधि (ब्लॉक प्रमुख/प्रधान)।

(iii) निगरानी समिति पश्चवर्ती किस्तों को जारी करने से पहले विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(iv) किसी भी मामले में निगरानी समिति के दो से कम सदस्यों द्वारा निरीक्षण का आयोजन नहीं किया जाएगा।

7. <u>प्रस्तावों का ढांचा</u>

(i) प्रस्ताव निम्नलिखित में से एक या अधिक संघटकों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है-

(क) **संलग्नक-घ** में संचारी रोगों की सूची में से किसी एक या अधिक संचारी रोगों का प्रबंधन।

(ख) गैर-संचारी रोगों का प्रबंधन जैसे कि-

(i) जीवन शैली विकार

(ii) वृद्धावस्था देखभाल

(iii) किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ पोषण और खून की कमी इत्यादि।

(ग) स्कूली बच्चों में खून की कमी, कुपोषण इत्यादि को दूर करने के लिए सिद्ध आयुष उपचारों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण सहित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्षमता निर्माण।

(ii) इस प्रस्ताव में स्प्ष्ट रूप से उद्देश्यों, कार्यान्वयन के तौर-तरीकों, परिमेय परिणाम, उपचार का आशातीत प्रभाव, अवधि (तीन वर्ष से अनधिक) और भौगोलिक क्षेत्र (कम से कम एक ब्लॉक) को इस परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) पैरा 7 (i) में उल्लिखित विशिष्ट रोगों/स्वास्थ्य दशाओं वाले प्रचलित भौगोलिक क्षेत्र को परियोजना कार्यान्वयन के लिए चयनित किया जाना चाहिए।

(iv) आयुष दृष्टिकोण के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतराल को पाटने के प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(v) परियोजना के शुरू होने से पूर्व प्रस्ताव में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्थिति के मानदंड का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए ताकि परियोजना भागीदारी से हुए परिवर्तनों को आंका जा सके। जहां तक सम्भव हो स्थानीय जन-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि के साथ अंतर-क्षेत्रीय वार्तालाप और सहयोग को भी प्रस्ताव में परिलक्षित होना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में छह महीने की अवधि के परिमेय निष्कर्ष और विवरण अंतर्निहित होने चाहिए।

8. <u>योजना के लिए कर्मचारी</u>

आयुष विभाग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीए के साथ 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले को 55,000/-रुपये के मासिक पारिश्रमिक पर परियोजना प्रबन्धक तथा 20,000/-रुपये मासिक पर संविदा के आधार पर डाटा-एंट्री-ऑपरेटर नियुक्त करेगा। आंतरिक वित्त प्रभाग के साथ परामर्श करके पारिश्रमिक की आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

9. <u>परियोजना मूल्यांकन</u>

अंतिम चयन/मंजूरी के लिए विचार करने से पूर्व परियोजना प्रस्ताव निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति के मूल्यांकनाधीन होगा -

(i) संयुक्त सचिव (आयुष) - अध्यक्ष
(ii) आयुष विभाग में संबंधित सलाहकार - सदस्य
(iii) अनुसंधान परिषद के संबंधित निदेशक - सदस्य
(iv) सचिव (आयुष) द्वारा नामित प्रतिष्ठित समुदाय/सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रतिनिधि - सदस्य

(v) आयुष विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का दायित्व संभाल रहे निदेशक/उप सचिव - सदस्य

(vi) योजना के प्रभारी निदेशक - संयोजक

किस्तें जारी करने की अनुशंसा करने से पहले परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) उपलब्धि सह प्रदर्शन रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगी।

10. <u>परियोजनाओं का अनुमोदन</u>

मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित परियोजना प्रस्तावों पर निम्नलिखित सदस्यों वाली परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुदान की मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा-

(i) सचिव (आयुष) - अध्यक्ष

(ii) मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(iii) संयुक्त सचिव (आयुष) - सदस्य

(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएआरएम) का दायित्व संभाल रहे संयुक्त सचिव -

(v) संबंधित सलाहकार - सदस्य

(vi) सचिव (आयुष) द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित समुदाय या सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ - सदस्य

(vii) योजनाके प्रभारी निदेशक संयोजक

11. <u>चयन प्रक्रिया</u>

प्रस्ताव का चयन निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाएगा:-

चरण-I: अनुभाग में प्रस्ताव की जांच

प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद कार्यक्रम अधिकारी 14 दिनों के अन्दर प्रक्रिया आरंभ कर देगा। परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव/अवधारणा नोट के उपयुक्त नहीं पाए जाने अर्थात खामियों से युक्त प्रस्ताव (उद्देश्यों और अर्हता मानदंड से परे) को प्रारम्भिक जांच में निरस्त कर दिया जाएगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा। उपयुक्त पाए जाने पर प्रस्ताव को परियोजना मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

चरण-II:परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

योजना के पैरा-9 के अंतर्गत गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। पीएसी आवेदक संगठन को समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए बुला सकती है। परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा स्पष्ट सुपुर्दगी योग्य, संघटक-वार लागत, कार्य योजना, कार्यान्वयन का क्षेत्र, परियोजना की अवधि युक्त प्रस्तावों की अनुशंसा की जाएगी।

चरण-III:परियोजना स्वीकृतिदाता समिति (पीएससी)

परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर योजना के पैरा 10 के अंतर्गत गठित परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन/संस्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक मामले के अनुसार परियोजना स्वीकृति समिति परियोजना की सुपुर्दगी इत्यादि में छूट दे सकती है। परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन के पश्चात ही सभी किस्तें जारी की जाएंगी।

12. <u>आवेदन की प्रस्तुति</u>

विभाग की वेबसाइट -www.indiamedicine.nic.inपर"योजनाएं" शीर्षक के अंतर्गत योजना के विवरण और आवेदन का प्रारूप उपलब्ध रहेगा। पात्र संगठन को निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-क)** में विस्तृत प्रस्ताव सहित (दो प्रतियां) आवेदन करना चाहिए।

संलग्नक- क

सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल में आयुष उपचारों के प्रचार के लिए सहायता अनुदान की योजना के लिए आवेदन प्रपत्र:-

1. संगठन का नाम:
2. पंजीकृत पता:
3. एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर -
   एसटीडी कोड सहित फैक्स नम्बर -
   ई-मेल:
4. पत्र व्यवहार का पता:-
5. पंजीकरण संख्या और तारीख:
6. पिछले पांच वर्षों की लेखापरीक्षित आय एवं व्यय का सार:
7. संगठन में कार्यरत समुदाय/सार्वजनिक स्वास्थ्य का अनुभव रखने वाले तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों की सूची।
   (प्रत्येक कार्मिक का विवरण संलग्न करें जैसे कि नाम, लिंग एवं आयु, योग्यता, अनुभव)
8. संगठन के प्रमुख क्रियाकलाप
9. पिछले पांच वर्षों में संगठन की प्रमुख उपलब्धियां:
10. क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूर्व में किसी तरह का कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करें:
11. क्या निधियां अन्य किसी केंद्रीय/राज्य सरकार स्रोत से प्राप्त हुई थीं/हैं, यदि तो तत्संबधी ब्यौरा प्रस्तुत करें:
12. प्रस्तावित परियोजना का शीर्षक:
13. कार्य योजना में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाना चाहिए:
    क. **लक्षित जन संख्या सुपरिभाषित और विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे कि**
        i. ब्लॉकों की पहचान करना
        ii. ताल्लुक/तहसील
        iii. जिले
        iv. जनसंख्या और लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (पुरुष और महिलाएं अलग-अलग)

v. इसमें न्यूनतम जनसंख्या को शामिल करना है और कार्यान्वयन के लिए लक्षित क्षेत्र एक प्रस्ताव के लिए एक ब्लॉक से कम नहीं होना चाहिए।

ख. **लक्षित समस्या/रोग को सुपरिभाषित** किया जाना चाहिए और उपचार की प्रभावकारिता पूर्ण सिद्ध तथा प्रलेखित होनी चाहिए।

ग. **परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित किया जाना चाहिए:** लक्ष्य उच्चस्तरीय विवरण हैं जिन्हें सुस्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। जिनको परियोजना द्वारा सम्पूर्ण संदर्भ उपलब्ध करवा कर प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए।

उद्देश्य निम्नस्तरीय विवरण हैं जो परियोजना द्वारा सुपुर्दगी योग्य विशिष्ट, मूर्त उत्पादों और सुपुर्दगियों का वर्णन करते हों।

घ. आधार रेखा सर्वेक्षण - (प्रारम्भिक स्थितियों के निरूपण के लिए तैयार सर्वेक्षण, जिसकी पूरी हो चुकी परियोजना के प्रभावों से तुलना की जा सके) इसे परियोजना की शुरुआत से पहले पूरा कर लेना चाहिए (परिवर्तित आंकड़ों के उपयोग की अनुमति है)। लिंग-वार आधाररेखा जानकारी/आंकड़ा जो प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में प्रचलित प्रारम्भिक परिस्थितियों को वर्णित करता है, को विशेष रूप से प्रस्ताव में दिया जाना चाहिए।

ङ. **अंतिम निष्कर्षी आंकड़ा:** इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात परियोजना समापन रिपोर्ट में परियोजना के प्रभाव/निष्कर्ष को मापने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और इस तरह के **लिंग-वार** अंतिम निष्कर्षी आंकड़े की आधार रेखा सर्वेक्षण/आंकड़े के साथ तुलना की जानी चाहिए।

च. परियोजना के सभी आंकड़े/दस्तावेजों को आयुष विभाग के साथ साझा किया जाना चाहिए।

14. परियोजना क्रियान्वयन क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं अर्थात् स्वास्थ्य केंद्रों/पीएचसी/सीएचसी इत्यादि की संख्या और इन स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के प्रारूप की सूचना आवेदन पत्र में दी जानी चाहिए। परियोजना के कार्यान्वयन क्षेत्र से पीएचसी/सीएचसी की दूरी का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

15. सुपुर्दगियां: - केवल प्राप्य सुपुर्दगियां नियत की जानी चाहिए। सुपुर्दगियां स्पष्ट और परिभाषी होनी चाहिए तथा परियोजना के शुरू करने से पहले ही तय की जानी चाहिए। परियोजना की समाप्ति पर सुपुर्दगियां तुलना योग्य होनी चाहिए।

16. अपेक्षित परिणाम: - परियोजना की समाप्ति पर परियोजना के अपेक्षित परिणाम विशिष्ट, स्पष्ट, परिणामी और तुलनीय होने चाहिए।

17. परियोजना की कुल लागत और उचित औचित्य के साथ अपेक्षित अनुदान के संघटक/मद-वार ब्यौरे प्रस्ताव में दिए जाने चाहिए।
18. जिला आयुष/स्वास्थ्य अधिकारी और राज्य आयुष/स्वास्थ्य सचिव के अलावा दो संदर्भ दीजिए (पता, फोन नम्बर इत्यादि सहित)

हस्ताक्षर

(संगठन के प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर)

<u>आवेदक संगठन द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करवाने की आवश्यकता होगी-</u>

(i) योजना के **पैरा4(iv)** के अनुसार ब्यौरे-वार विधिवत अग्रेषण।

(ii) पंजीकरण की अभिप्रमाणित प्रति (राज्य सरकार के अलावा)।

(iii) उप विधियों की अभिप्रमाणित प्रति (राज्य सरकार के अलावा)।

(iv) खाते की पिछले पांच वर्षों की लेखा परीक्षित विवरणियों की अभिप्रमाणित प्रतियां(राज्य सरकार के अलावा)।

(v) पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट सहित बैंक खाता विवरण (सरकारी संगठन के अलावा)

(vi) संगठन के पिछले क्रियाकलापों और उपलब्धियों का उल्लेख।

(vii) **संलग्नक-ख** में यथा वर्णित नियमों और शर्तों का पालन करने का प्रमाण पत्र।

संलग्नक-ख

संगठन के प्रमुख से आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र की आवश्यकता-

प्रमाणित किया जाता है कि:

क. यह संगठन आयुष विभाग/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम और शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा।

ख. परियोजना से संबंधित सभी अभिलेखों और प्रतिवेदनों को अलग से अनुरक्षित किया गया है और आयुष विभाग या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. वास्तविक प्रगति के मूल्यांकन के लिए परियोजना खुली रहेगी और निधियों का उपयोग आयुष विभाग के विवेक पर निर्भर करेगा।

घ. आवेदन और प्रस्ताव में दी गई सूचना और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार होगा।

ङ. आयुष विभाग को अनुदान की मंजूरी के नियम और शर्तों से किसी भी प्रकार की चूक या विचलन के लिए निधि जारी होने की तारीख से 12% ब्याज के साथ अनुदान की वसूली का अधिकार होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यथापेक्षित कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

च. परियोजना के लिए अलग खाते अनुरक्षित किए जाएंगे।

हस्ताक्षर

संगठन के प्रमुख का नाम और मुहर

फोन नं.....

फैक्स नं.....

ई-मेल:.....

<u>आयुष विभाग से अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के बाद, परन्तु अनुदान जारी होने से पूर्व आवेदक संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करवाने की आवश्यकता होगी।</u>

(i) बंध-पत्र

आवेदक संगठन (राज्य सरकार के अलावा) को बंध-पत्र भरना होगा। इस बंध-पत्र में यह आश्वासन देना होगा कि आवेदक संगठन स्वीकृति पत्र, जीएफआर, घटक-वार अनुमोदित परियोजना लागत और परियोजना के अंतर्गत हासिल की जाने वाली वर्ष-वार सुपुर्दगियों में वर्णित सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करेगा। बंध-पत्र की वैधता तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) <u>योजना आयोग के साथ पंजीकरण</u>

चयनित संगठन (गैर-सरकारी) को अनुदान जारी होने से पहले योजना आयोग के साथ पोर्टल सहित पंजीकरण करवाना होगा।

<u>किसे आवेदन करना है</u>

पूर्ण आवेदन इस पते पर भेजे जाने चाहिए:

निदेशक (योजनाएं)
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग
“आयुष भवन”, बी-ब्लॉक, जीपीओ काम्प्लैक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

संलग्नक-ग

राज्य सरकार द्वारा संगठन की विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु प्रारूप: प्रमाणित किया जाता है कि.....(संगठन का नाम),..... (पता),.....(राज्य) में.....से (वर्षों की संख्या) से कार्य कर रहा है।

क) संगठन इस तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल परियोजना का क्रियान्वयन करने में सक्षम है तथा इसके पास.....वर्षों का पूर्वानुभव है।

ख) संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना स्कीम के दिशानिर्देशानुसार प्रासंगिक है।

ग) परियोजना जनता के लिए उपयोगी है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल में आयुष उपचार के संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्रक अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत इस प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर और तारीख)

इस परियोजना पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आयुष विभाग के साथ कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसका रैंक उप निदेशक/अपर निदेशक/निदेशक/आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव के पद से नीचे का न हो।

कार्यालय मुहर

फोन नं.....फैक्स नं.....

ई-मेल:.....

संलग्नक-घ

प्रस्ताव में निम्नलिखित एक या एक से अधिक संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

1. मलेरिया
2. चिकनगुनिया
3. तीव्र जीवाणुज अंतर्हृदयकलाशोध (एक्यूट डायरिया)
4. श्वसन तंत्र के संक्रमण
5. वायरल हेपेटाईटस
6. खसरा
7. डेंगू
8. मूत्रपथ के संक्रमण (यूटीआई)
9. काली खांसी

*****